न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारीः श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रमोद कुमार		प्रमिला वगैरह

प्रार्थना पत्र बाबतः– धारा 11 सीपीसी

उपस्थितः– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी
श्री बजरंगलाल बिजारणियां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7

मुकदमा नम्बरः– 42/2014 आदेश दिनांकः– 19.02.2024

आदेश

प्रतिवादी संख्या 7 जगदीश प्रसाद की ओर से धारा 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा नावां की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 9, 11, 12, 13, 30 कुल रकबा 9.77 हैक्टर भूमि के संबंध में वादी की ओर से उक्त अनुवान का वाद पत्र पेश किया है। उक्त अनुवान के वाद पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में एक वाद पत्र/प्रार्थना पत्र 52/14 बअनुवान माणकचन्द व अन्य बनाम राज. सरकार व लोकेन्द्र कुमार वगैरह इस न्यायालय में विचाराधीन रहा है तथा उक्त वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 52/14 एवं उक्त अनुवान का वाद पत्र संख्या 42/14 के पक्षकार भी एक समान है तथा एक ही कृषि भूमि के संबंध में विचाराधीन रहे है तथा उक्त वाद एवं वाद/प्रार्थना पत्र 52/14 की विषयवस्तु भी एक समान है तथा वाद/प्रार्थना पत्र 52/14 का इस न्यायालय से दिनांक 17.07.2018 को निर्णय हो चुका है। वाद/प्रार्थना पत्र 52/14 एवं उक्त अनुवान के वाद की विवाद विषय के संबंध में इस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है इसलिए उक्त वाद पत्र इस न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने योग्य नहीं होने से धारा 11 सीपीसी (पूर्व न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार) चलने योग्य नहीं है। वादी का वाद पत्र धारा 11 सीपीसी के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी ने अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी का जवाब पेश नहीं करे सीधे बहस की। प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्त प्रतिवादी संख्या 7 ने निवेदन किया कि मौजा नावां की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 9, 11, 12, 13, 30 कुल रकबा 9.77 हैक्टर भूमि के संबंध में एक वाद पत्र/प्रार्थना पत्र 52/14 बअनुवान माणकचन्द व अन्य बनाम राज. सरकार व लोकेन्द्र कुमार वगैरह इस न्यायालय में विचाराधीन रहा है तथा दोनो वाद पत्रों में पक्षकार भी एक समान है तथा एक ही कृषि भूमि के संबंध में विचाराधीन रहे है विषयवस्तु भी एक समान है। वाद/प्रार्थना पत्र 52/14 का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2018 को निर्णय हो चुका है। वाद/प्रार्थना पत्र 52/14 एवं उक्त अनुवान के वाद की विवाद विषय के संबंध में इस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है इसलिए उक्त वाद पत्र इस न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

विचारण किये जाने योग्य नहीं होने से धारा 11 सीपीसी (पूर्व न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार) चलने योग्य नहीं है। वादी का वाद पत्र धारा 11 सीपीसी के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा वर्णित वाद संख्या 52/14 हस्तगत वाद पत्र के पश्चात पेश कर न्यायालय से तथ्य छुपाते हुए वाद संख्या 52/14 में निर्णय पारित करवाया गया है इसलिए वाद पत्र संख्या 52/14 हस्तगत वाद पत्र का पश्चातवृर्ति वाद पत्र था परन्तु वाद पत्र 52/14 में निर्णय पारित किया जा चुका है जिसकी अपील माननीय अपर न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया।

उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार इस न्यायालय के अनुवान प्रकरण माणकचन्द वगैरह बनाम राज. सरकार वगैरह मुकदमा नम्बर 52/2014 में ग्राम नावां के खसरा नम्बर 9, 11, 12, 13, 30 कुल रकबा 9.77 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रकरण विचारण होकर दिनांक 17.07.2018 को निर्णय पारित हो चुका है। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में पूर्व में प्रकरण विचारण होकर निस्तारित हो चुका है। इस प्रकार हस्तगत वाद पत्र में पूर्व न्याय के सिद्धांतों के अनुसार विचारण किया जाना उचित नहीं है। इसलिए वादी का वाद पत्र धारा 11 सीपीसी के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रतिवादी संख्या 7 जगदीश प्रसाद की ओर से प्रस्तुत धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद–पत्र खारिज किया जाता हैं।

यह आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:05 IST
Reason: SelfAttested